नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त रहेः—

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री अरूण कुमार	1.4.14 से 16.2.16
2	श्री कुन्ज लाल राणा	17.2.16 से लगातार

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री रमण घरसंघी (तहसीलदार)	1.4.14 से 31.3.16

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	₹लाखों में
1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेष में अन्तर	4 (3)	0.44
2	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	4.4	—

3	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	5	39.01
4	गृहकर राजस्व की वसूली शेष	6	12.86
5	दुकानों के किराये की वसूली शेष रहना	7	3.29
6	निर्माण कार्यों से लेबर सैस की कटौती न करना	8	0.10
7	मोबाईल कम्पनी से शुल्क की वसूली शेष रहना	11	0.35

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "6"** पर दर्शाई गई है। प्रायः अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के समाधान हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3. 2016 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री विकास धन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.1.17 से 4.2.17 तक नगर पंचायत बंजार में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः माह 6/2014 व 5/2015 तथा 11/14 व 11/15 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में दिखाया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत बंजार के सचिव द्वारा उपलब्ध सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना/अभिलेख के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹18000/—मात्र बनता है। सचिव, नगर पंचायत बन्जार को अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन VD(211)/2017-10 दिनांक 4.2.17 द्वारा उक्त शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

नगर पंचायत बन्जार के लेखों अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट 1 (क) के अनुसार निम्न प्रकार से थीः—

मुख्य रोकड़ बही

वर्ष	आरम्भिक (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	शेष (₹)
2014—15	2384912	5404001	139049	7927962	2825161	5102801
2015—16	5102801	4452952	205847	9761600	5788734	3972866

बैंक समाधान विवरणीः—

	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.16 को शेष	₹3972866
(i) जमा	चैक जो जारी किए गए परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/12 से 3/14)	

(1)	चैक सं0	दिनांक	राशि	
	227847	14.7.10	2000	
	227848	14.7.10	2000	
	585509	22.3.12	1275	
	495634	22.2.14	1000	₹6275

2)	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 के पैरा 4 द्वारा दर्शाई गई राशि (400+32+250+30+10+2)	₹724
3)	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14 के पैरा 4 के अनुसार बैंक में अधिक जमा राशि	₹247
		₹3980112
(ii)	घटाएंः—	
1)	अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/11 से 3/12 के पैरा 4 द्वारा दर्शाई गई राशि (100+2707) ₹2807	
2)	दिनांक 22.3.16 को बैंक में कम जमा ₹1000	(—) 3807
		₹3976305

बैंक पास बुकों के अनुसार दिनांक 31.3.16 को शेष राशि				₹4020568.90
अन्तर (₹4020568.90—₹3976305)				₹44263.90

बैंक में दिनांक 31.3.16 को जमा राशि का विवरण

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	20010006885	के0सी0सी0	3904283.90
2	20010006670	के0सी0सी0	116285.00
		कुल	₹4020568.90

4.1 SJSRY:- परिशिष्ट–1 (ख) के अनुसार वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान SJSRY के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	आरम्भिक (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
2014–15	199185	–	8047	207232	–	207232
2015–16	207232	–	8396	215628	–	215628
	बैंक खाता संख्या 0596000101077815					₹215628

4.2 अम्बेदकर भवनः– **परिशिष्ट–1 (ख)** के अनुसार वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान अम्बेदकर भवन की रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	आरम्भिक (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
2014–15	28017	4200	1270	33487	–	33487
2015–16	33487	177625	1520	212632	188232	24400
	बैंक खाता संख्या 50052191343					₹24400

4.3 दिनांक 31.3.16 को मुख्य रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.44 लाख के अन्तर बारेः–

नगर पंचायत बन्जार की मुख्य रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31.3.16 को अन्तिम शेष का मिलान करने पर बैंक में ₹44268.90 अधिक जमा पाए गए। अतः अन्तर ₹42268.90 का मिलान व अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

नगर पंचायत बन्जार की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में माह के अन्त में आय व व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है व न ही रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ समाधान विवरणी बनाई गई है। जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। अतः प्रतिमाह माह के अन्त में आय व व्यय का ब्यौरा तैयार न करने व रोकड़ बही की बैंक समाधान विवरणी न

बनाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 आय की राशि को एक लम्बे अन्तराल के बाद रोकड़ बही में दर्ज व बैंक में जमा करवाने बारेः–

नगर पंचायत बन्जार की मुख्य रोकड़ बही व प्राप्त आय की रसीद बुकों (जी–8) की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त आय की राशि को एक लम्बे अन्तराल के बाद रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक खाते में जमा करवाया गया था जोकि एक अस्थाई दुर्विनियोजन का मामला है। नियमानुसार प्राप्त आय की राशि को जिस दिन प्राप्त की जाती है उसी दिन रोकड़ बही में दर्ज करना व बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही में लम्बे अन्तराल के बाद दर्ज राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0 (जी–8)	दिनांक	प्राप्त आय (₹)	आय जिस दिन रोकड़ बही में दर्ज की गई	बैंक में जमा करने की दिनांक
1	47/34	22.5.14	1320	18.6.14	18.6.14
2	48 से 52/34	26.5.14	80	18.6.14	18.6.14
3	53/34	29.5.14	1650	18.6.14	18.6.14
4	54/34	29.5.14	2420	18.6.14	18.6.14
5	56/34	2.6.14	1665	18.6.14	18.6.14
6	57/34	4.6.14	200	18.6.14	18.6.14
7	59 व 60/34	6.6.14	1020	18.6.14	18.6.14
8	63 से 65/34	11.6.14	1890	18.6.14	18.6.14
9	66 से 71/34	12.6.14	1000	18.6.14	18.6.14
10	1/35	17.7.14	2420	2.5.15	2.5.15
11	9/35	4.8.14	550	2.5.15	2.5.15
12	23 से 25/35	8/14	12490	2.5.15	2.5.15
13	26/35	5.9.14	1650	2.5.15	2.5.15
14	27/35	8.9.14	2420	2.5.15	2.5.15
15	28 से 32/35	9.9.14	4500	2.5.15	2.5.15
16	33 से 38/35	10.9.14	49260	2.5.15	2.5.15
17	39 से 42/35	12.9.14	5925	2.5.15	2.5.15
18	43/35	12/14	2420	2.5.15	2.5.15

19	45/35	4.12.14	550	2.5.15	2.5.15
20	46/35	1/15	2620	2.5.15	2.5.15
21	47/35	5.1.15	2420	2.5.15	2.5.15
22	49 से 51/35	1/15	2720	2.5.15	2.5.15
23	52/35	2/15	2420	2.5.15	2.5.15

अतः प्राप्त आय की राशि को एक लम्बे अन्तराल के बाद रोकड़ बही में दर्ज करने व बैंक में जमा करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जमा करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्य ब्याज की प्रतिपूर्ति करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.6 बैंक में ₹1000 कम जमा करवाने बारेः—

मुख्य रोकड़ बही व रसीद बुकों (जी—8) की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 52/39 से 58/39 द्वारा दिनांक 10.3.16 से 19.3.16 तक ₹19761 की आय प्राप्त की गई थी जबकि बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया कि दिनाँक 22.3.16 को बैंक में केवल ₹18761 जमा करवाए गए थे। अतः कम जमा ₹1000 की वसूली करके बैंक में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.7 आय ₹20 को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः—

रसीद बुकों (जी—8) की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 42/35, दिनांक 10/14 को ₹20 की आय प्राप्त की गई थी परन्तु उपरोक्त राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। अतः ₹20 को रोकड़ बही में दर्ज करके व बैंक में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान की ₹39.01 लाख का उपयोग न करनाः—

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशियों व व्ययों का विस्तृत विवरण देने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-05 दिनांक 21.1.17 द्वारा सचिव नगर पंचायत बंजार से अनुरोध किया गया। नगर पंचायत बंजार द्वारा उपलब्ध विवरणी **(परिशिष्ट—"5")** के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.3.16 तक अनुदान की ₹3901349 उपयोग हेतु शेष थी। अतः शेष राशि का उपयोग नियमानुसार करके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जाए अन्यथा राशियों को सम्बन्धित विभाग को वापिस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 गृहकर की ₹12.86 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.2016 तक नगर पंचायत बंजार द्वारा गृहकर राजस्व की दिनांक 31.3.16 तक **परिशिष्ट–2** के अनुसार ₹1286145 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। नगर पंचायत बंजार द्वारा गृहकर की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अंकेक्षण अवधि में प्राप्त गृहकर व शेष गृहकर राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2014–15	780156	288798	1068954	7271	1061683
2015–16	1061683	288798	1350481	64336	1286145

अतः गृहकर की शेष राशि की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

6.1 गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को प्रति व्यक्ति की शेष राशि के साथ दिनांक 31.3.16 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 गृहकर की माँग 8½% की दर से करने के कारण वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के दौरान गृहकर की माँग व वसूली 8½% की दर से की जा रही थी जबकि सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)–2/2002 दिनांक 24.9.03 द्वारा नगर पंचायत द्वारा 12½% की दर से गृहकर लिया जाना निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत द्वारा 8½% की दर से माँग कर 4% कम (12½%–8½%) गृहकर निर्धारित किया गया है। जिसके कारण नगर पंचायत की आय में अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 में कुल माँग ₹288798X2=577596X4%=₹23104 की वित्तीय हानि हुई। अतः नगर पंचायत सरकार द्वारा निर्धारित गृहकर की वसूली 12½% की दर से न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर पर करना सुनिश्चित करें।

7 दुकानों के किराये की ₹3.29 लाख की वसूली न करने बारेः—

नगर पंचायत के लेखों अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के दुकान किराया मांग एवं वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.16 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹328831 की वसूली करनी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2014—15	271739	194452	466191	208642	257549
2015—16	257549	201066	458615	129784	328831

अतः नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विर्निदिष्ट नियमों के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाए ताकि नगर पंचायत को बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके।

7.1 दुकानों के किराये का नियमित भुगतान न करने तथा अधिभार की राशि की वसूली न करनाः—

नगर पंचायत की दुकानों के किराया मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न दुकानदारों द्वारा मासिक किराया नियमित रूप से अदा नहीं किया जा रहा था तथा ऐसे मामलों में नगर पंचायत द्वारा दुकानों के इकरारनामों के अनुसार मासिक किराया भुगतान नियमित न करने पर 1**%** अधिभार राशि को किराया मांग व संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः बकाया किराये की वसूली के साथ—2 ₹3874 अधिभार की राशि को वसूलना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	प्राप्ति एवं संग्रह रजिस्टर पृ0सं0	दुकान संख्या	किरायेदार का नाम	प्रतिमाह किराया	किराये के भुगतान न करने की अवधि	अधिभार राशि (₹)
1	61 से 64	1	श्री ओम प्रकाश	880	5/12 से 12/12, 2/13 से 6/13, 9/13 से 11/13, 9/14 व 12/14	880x18x1%=158
2	64 से 66	3	श्री देवकी नन्दन	880	9/14, 12/14, 2/15, 4/15, 5/15, 7/15 से	880x13x1%=114

					11／15, 1／16 से 3／16	
3	61 से 64	4	श्री दीपक शर्मा	1650	4／12 से 3／14, 8／14, 10／14 व 2／15	1650x27x1%=445
4	64 से 66	5	श्री लायक राम	1320	8／14 से 10／14, 2／15, 4／15, 5／15 व 1／16	1320x7x1%=92
5	64 से 66	6	श्री राकेश वैद्य	1665	9／14 व 5／15	1665x2x1%=33
6	61 से 66	7	श्री तिलक राज	440	9／12 से 11／12, 4／13 से 6／13, 5／14, 6／14, 9／14,10／14, 2／15, 3／15, 5／15 से 12／15, 2／16 व 3／16	440x23x1%=101
7	61 से 66	8	श्री एच0के0 कौल	440	9／12 से 3／16	440x43x1%=189
	61 से 64	9	श्री उत्तम राम	550	10／12, 11／12, 8／13, 10／13, 7／14 व 10／14	550x6x1%=33
	61 से 66	16	श्री गोवर्धन दत्त	2420	10／12, 9／13, 3／14, 11／14, 12／14, 3／15, 4／15 से 3／16	2420x22x1%=532
	61 से 66	17	श्री चमन लाल	3960	4／12 से 3／14, 5／14, 6／14, 8／14 से 11／14, 1／15 से 10／15, 12／15 से 3／16	3960x44x1%=1742
	61 से 64	मीट शॉप	श्री उत्तम राम	1000	4／12 से 5／12, 3／13 से 2／14, 4／14 से 2／15, 4／15 से 2／16	1000x36x1%=360
	63	हॉल	श्री अरविन्दर शर्मा	1500	10／13 से 2／14	1500x5x1%=75
					योग	**₹3874**

8 **निर्माण कार्यों से लेबर सैस ₹0.10 लाख की कटौती व जमा न करने बारेः—**

अंकेक्षण अवधि के कार्यों बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कस वेलफेयर सैस एक्ट 1996 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत कुल निष्पादित कार्य का 1**%** लेबर सैस के रूप में वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत बंजार के कार्यों के बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न प्रकरणों मे ंलेबर सैस को ₹10402 न तो कुछ निष्पादित कार्यों से काटी गई और न ही उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया।

क्र0सं0	माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0	कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य (₹)	1% सैसे की राशि (₹)
1	30	C/O Path/Rwall/Railing/Tiles in Path from main Road to Basti ward No. 3	676246	6762
2	37	C/O Path R.C.C. Drain & P/F Tiles G.I.Pipe PVC Pipe, Ward No. 7	222813	2228
3	44	C/O half spun pipe drain & P/L Tiles in Path from main road to vill.Jawahad ward No.1	141295	1412
			कुल राशि	**₹10402**

अतः उक्त राशि के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में समस्त निष्पादित कार्यों पर देय लेबर सैस की गणना करके वसूली सुनिश्चित कर सम्बन्धित विभाग में राशि को जमा करवाया जना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार लेबर सैस की कटौती करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली न करनाः—**

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के दौरान लेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि सरकार द्वारा निर्धारित दर से वसूल नहीं की जा रही थी जबकि सरकार के पत्र संख्या UD-H(A)(3)-13/87-111, दिनांक 17.6.08 द्वारा विवाह पंजीकरण का शुल्क ₹200 निर्धारित किया गया था। अवधि 4/14 से 3/16 तक नगर पंचायत के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में केवल 10 विवाह का पंजीकरण किया गया था। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹2000 (₹200X10) की वसूली न करने के

कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में नियमानुसार ही पंजीकरण शुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

10 कलाकेन्द्र हाल की किराया शेष ₹0.03 लाख को 2014–15 के माँग व वसूली रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

किराया माँग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 में कलाकेन्द्र हाल का किराया श्री उपेन्द्र शर्मा से ₹3000 लेने को शेष था, परन्तु वर्ष 2014–15 में पृष्ठ संख्या 64 पर कलाकेन्द्र हाल की शेष राशि को नहीं दर्शाया गया था। अतः शेष राशि को 2014–15 के मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज न करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3000 की वसूली श्री उपेन्द्र शर्मा से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 मोबाईल कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹0.35 लाख की वसूली शेष रहनाः–

अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखाओं की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत की सीमा में स्थित मोबाईल टावर कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क की दिनांक 31.3.16 तक **परिशिष्ट–4** के अनुसार ₹35000 की वसूली शेष थी। अतः नगर पंचायत द्वारा शेष राशि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

12 गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 में श्री दिले राम, टोल गार्ड को ₹0.33 लाख का अधिक भुगतानः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 के पैरा संख्या 12 (iii) के क्रम को जारी रखते हुए श्री दिले राम, टोल गार्ड को 1.4.14 से 31.3.16 तक ₹32807 का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	अवधि	जो भुगतान किया गया (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अन्तर (₹)	डी0ए0 (₹)	कुल (₹)	माह	अधिक भुगतान (₹)
1	4/14 से 6/14	8630	8020	610	610 (100%)	1220	3	3660
2	7/14	8630	8020	610	652 (107%)	1262	1	1262

3	8/14 से 12/14	8900	8260	640	685 (107%)	1325	5	6625
4	1/15 से 6/15	8900	8260	640	723 (113%)	1363	6	8178
5	7 15	8900	8260	640	762 (119%)	1402	1	1402
6	8/15 से 12/15	9170	8510	660	785 (119%)	1445	5	7225
7	1/16 से 3/16	9170	8510	660	825 (125%)	1485	3	4455
							कुल	**₹32807**

अतः वेतन की अधिक भुगतान की राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

13 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर जुर्माने की ₹0.99 लाख की कटौती न करनाः–

नगर पंचायत बंजार में अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त नं0 4 के अनुसार यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता तो ठेकेदार से कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10% जुर्माना लगाने का प्रावधान था। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित कार्यों की जाँच में पाया गया कि कार्य को आबंटन पत्र में निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-09 दिनांक 1.2.17 द्वारा सचिव, नगर पंचायत बंजार से कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को प्रदान समय बढ़ौतरी (Time Extenion) से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु समय बढ़ौतरी से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने हेतु समय बढ़ौतरी न देने व जुर्माने की राशि की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं अन्यथा जुर्माने की ₹98634 की वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कार्य का नाम	निर्धारित अवधि	कार्य आरम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	अनुमानित लागत (₹)	माप पुस्तिका नं0 9 पृष्ठ संख्या	कटौती की राशि (₹)
1	C/O Path/R wall/Railing/Tiles in Path, Ward No. 3	3 माह	3/15	11/15	584510	19	58451
2	C/O Path RCC Drain & P/F	3 माह	3/15	11/15	247696	31	24769

	tiles G.I. Pipes, PVC ape,ward No.7					
3	C/O Half spun pipe drain & P/L tiles in Path, Ward No. 1	3 माह	3/15	11/15	154144	38	15414
						कुल	**₹98634**

14 बिजली बिलों में अधिभार के ₹893 का अधिक भुगतानः–

माह 11/14 के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि बिजली बिलों का निर्धारित समय पर भुगतान न करने के कारण नगर पंचायत, बंजार को अधिभार के ₹893 का अधिक भुगतान बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश को करना पड़ा। यदि बिजली के बिलों का भुगतान देय तिथि को कर दिया जाता तो ₹893 की बचत की जा सकती थी। अतः बिजली बिलों का भुगतान निर्धारित देय तिथि को न करने के कारण स्पष्ट किए जाए एवं इसकी भरपाई सम्बन्धित का दायित्व निर्धारित करके की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	खाता सं0	रसीद सं0	बिल की राशि (₹)	अधिभार सहित बिल की राशि	अधिक भुगतान की राशि
1	BNSL-II	929858/5.11.14	36039	36329	290
2	BNSL-III	929859/5.11.14	75439	76012	603
				कुल	**₹893**

15 क्रय मदों की भण्डारण प्रविष्टियाँ न करनाः–

नगर पंचायत बंजार के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न क्रय मदों की भण्डारण प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है। अतः क्रय मदों की भण्डारण प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	माह/वर्ष	बिल सं0	फर्म का नाम	मद	राशि(₹)
1	11/14	3123/18.7.14	मै0 मिनरवा बुक हाउस शिमला	हि0प्र0शैडयुल रेट (पुस्तक)	790
2	11/14	124/20.9.14	मै0 महाबीर रैलिंग शटर, बंजार	साईन बोर्ड	1440
3	11/14	291/4.8.14	मै0 चौहान एग्रो सर्विस बंजार	किलटा	2200

4	11/14	407/14.7.14	मै0 ठाकुर ईंटरप्राईसिस बंजार	बॉल कॉकस	680
5	11/14	015/25.7.14	–यथोपरि–	पी0वी0सी0 पाईप	1743

16 कर्मचारियों की सर्विस बुकों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में कर्मचारियो ंकी सर्विस बुकों की जाँच में पाया गया कि सर्विस बुकों में दर्ज वार्षिक वेतन वृद्धि व वेतन निर्धारण की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिसका कारण स्पष्ट करते हुए सर्विस बुकों में दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 स्टॉक रजिस्टर को नियमानुसार पूर्ण न करनाः–

नगर पंचायत बंजार के बिजली की क्रय मदों के भण्डार रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि बिजली की क्रय मदों को कार्य के लिए जारी करते समय दिनांक व जिसे जारी किया गया का पूर्ण विवरण भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है व न ही स्टॉक रजिस्टर को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया गया है। अतः भविष्य में स्टॉक रजिस्टर को नियमानुसार पूर्ण करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 गाड़ी की लॉग बुक को पूर्ण न करनाः–

नगर पंचायत बंजार की गाड़ी नं0 एच0पी0 49–1362, की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि गाड़ी की लॉग बुक को दिनांक 25.10.14 के बाद से पूर्ण नहीं किया जा रहा है जबकि गाड़ी में लगातार तेंल व रख रखाव पर राशि व्यय की जा रही है। अतः लॉग बुक में प्रतिदिन प्रविष्टियाँ दर्ज न करने के कारण स्पष्ट किए जाए व लॉग बुक को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणीः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः—** नगर पंचायत बंजार के लेखों के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है तथा पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

हस्ता / —

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 92 / 89 खण्ड—2—4350—4351दिनांक,18. 07.2017 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171002 को पैरा / संख्या 1 (ग) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :— (2) सचिव, नगर पंचायत बंन्जार, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / —

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

परिशिष्ट "6"

पैरा–1 (घ) में सन्दर्भित

नगर पंचायत बन्जार के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति अवधि 4/1989 से 3/2014 तक निम्नलिखित है।

(क) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/94</u>

1	पैरा– 4 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
2	पैरा– 5 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा– 5 (5) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा– 5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा– 5 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा– 5 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा– 5 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा– 5 (11)	अनिर्णीत
9	पैरा– 6 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा– 7 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
11	पैरा– 7 (6)	अनिर्णीत

(ख) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/96</u>

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (i)(ii)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (1) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत

11	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–14	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2002

1	पैरा–5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–11	अनिर्णीत
17	पैरा–12	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007</u>

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (v)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (vi)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011 तक</u>

1	पैरा–1 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–1 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (1) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–5	अनिर्णीत
5	पैरा–6	अनिर्णीत
6	पैरा–7	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–9	अनिर्णीत

9	पैरा–10	अनिर्णीत	
10	पैरा–11	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	अनिर्णीत	
15	पैरा–16	अनिर्णीत	
16	पैरा–17	अनिर्णीत	
17	पैरा–19 (ii) व (iii)	अनिर्णीत	
18	पैरा–20	अनिर्णीत	
19	पैरा–21	अनिर्णीत	
20	पैरा–22	अनिर्णीत	
21	पैरा–23	अनिर्णीत	
22	पैरा–24	अनिर्णीत	
23	पैरा–25	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012 तक

1	पैरा–3	निर्णीत	(रसीद संख्या 074584/12.5.15)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	अनिर्णीत	
9	पैरा–16	अनिर्णीत	
10	पैरा–17	अनिर्णीत	

(छ) **<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014</u>**

1	पैरा–3	निर्णीत (रसीद संख्या 074584/12.5.15)
2	पैरा–6 व 7	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
3	पैरा–8	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
4	पैरा–9	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
5	पैरा–10	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत